

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 202/2025

श्रीभगवान पुत्र राम नारायण जाति ब्राहमण साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़।
2. वेदप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़।
3. रूकमा पुत्री रामनारायण जाति ब्राहमण साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला
हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला
हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 30/10/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 5 एन.एस.डब्ल्यू. के खाता सं. 3 के प.नं. 41/336, 41/337 की कुल 4.554 हैक्. मे से 2.024 हैक्. का वादी व प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर एवम्
पीलीबंगा